eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

घरेलू हिंसाः समाज में महिला सशक्तिकरण और मानवाधिकारों की भूमिका

[1]रत्नेश कुमारी

[1]शोध छात्रा समाजशास्त्र आचार्य नरेन्द्र देव नगर, निगम महिला महाविद्यालय कानपुर उ0प्र0

Received: 15 September 2023 Accepted and Reviewed: 25 September 2023, Published : 01 October 2023

Abstract

महिलाएं हमारे देश में लगभग आधी अवादी का प्रतिनिधित्व करती है। महिला सशक्तिकरण के लिए हर सरकारी योजनाओं में प्रमुखता दी जाती है। महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया घर से प्रारम्भ होती है लड़की को अगर कोख से कब्र तक हिंसा सहनी पडे तो वह अपने मूल अधिकारों से वंचित होती है। उसका अपना अस्तित्व समाप्त होने लगता है। सशक्तिकरण का अर्थ सामाजिक न्याय या महिला की एक स्वतन्त्र पहचान के रूप में स्वीकार करना। परिवार में उसके लिए समानता का स्थान प्राप्त होना चाहिए। सशक्तिकरण अधीनता व हिसां की चुनौती है। महिला सशक्तिकरण को समाज में वास्तविक सामाजिक समानता स्थापित करने का साधन माना जा सकता है। यह एक सार्वभौमिक मुद्दा है क्योंकि यह समाज में महिलाओं की स्थिति के व्यापक प्रश्न से जुड़ा है। किसी भी समाज के विकास को उस समाज में महिलाओं की स्थिति के आधार पर समझा जा सकता है। घरेलू हिंसा महिलाओं के मानव अधिकारों के लिए एक गम्भीर समस्या है। इस समस्या का सम्बन्ध महिलाओं के विरुद्ध उसने अपने पहचान के सम्बंधी द्वारा की गई हिंसा से है जो शारीरिक, मानसिक भावनात्मक तथा यौन हिंसा के रूप में हो सकती है। इसका सम्बन्ध पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने व पति द्वारा उत्पीड़न मानसिक तथा आर्थिक शोषण से है। घरेलू हिंसा हर तरह के सामाजिक स्तर पर घरों में भी होती है। आर्थिक क्षेत्र में महिलाएँ प्रभावशाली भूमिका निभा रही है। उसके बावजूद उन पर घरेलू हिंसा होती है। घरेलू हिंसा रोकने के लिये घर रहने वाली स्त्री पुरूषों की सोच में क्रान्तिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है। यह शुरूआत शिक्षा एवं जनचेतना के कार्यों को ही सम्भव है। यानी घरों में शान्तिपूर्ण वातावरण बनाने के लिये अध्यापक, जनसंगठन, महिला संगठन, बुद्धिजीवी वर्ग, प्रशासन, पुलिस तथा न्याय पालिका आदि को सामने आना होगा ताकि घर की चार दीवारी से घटित हिंसा पर काबू पाया जा सके। महिलाओं की आये दिन होने वाली घरेलू हिंसा अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 कानून सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है। इनके द्वारा महिलाओं पर हो रही हिंसा पर अंकुश लगाये जाने का प्रयास किया जा रहा है। महिलासक्तिकरण में मानवाधिकार भी अपने दायित्वों को निभाता है।

मुख्य शब्दः– घरेलू हिंसा, समाज, महिलासशक्तिकरण एवं मानवाधिकार।

Introduction

प्राचीन काल में महिलाओं का अत्यधिक सम्मान, गार्गी, अपाला, अनुसुइयाँ आदि महिलाओं के व्यक्तित्व के रूप में देखा जा सकता है। पौराणिक काल में उनका स्थान निश्चय ही श्रद्धा का केन्द्र था देवता भी उनके सन्निकट शिशु रूप में आनन्द का अनुभव करते थे। लेकिन महिलाएं सदैव से ही प्रत्येक समाज में हिंसा का शिकार होती रही है भले ही हिंसा के रूपों में भिन्नता हो सकती है

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

परन्तु उस हिंसा को महिलाएं सहती है। जिस समाज में नारी की स्थिति जितनी मजबूत होगी वो समाज उतना ही विकसित और प्रभाव पूर्ण होगा। धर्मग्रन्थों के अनुसार ''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्त्र देवता'' इसके बाबजूद भी समाज में महिला को अबला की संज्ञा देते हुये सदैव अपमानित एवं पद्दलित किया जा रहा है। समाज एवं राष्ट्र के चारित्रिक, सामाजिक, नैतिक सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास का आधार नारी ही है। यदि महिलाएँ शिक्षित होकर अपने आदर्शों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरुक एवं सशक्त होगी तो उनके साथ–साथ परिवार समाज और राष्ट्र भी सशक्त होगा। दुनिया भर में महिलायें हर कदम हर मोड़ पर हिंसा के अनचाहे अनजाने खतरे के साये में जीती है। लेकिन जब जुल्म अपने करते है तब उन्हें सामाजिक मर्यादा के चलते खून का घूंट पीकर चुप रहना पड़ता है। घर में महिलाओं से मारपीट, यौनत्पीड़न गाली गलौज करना भावात्मक या शारीरिक उत्पीड़न करना। पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कमतर माना जाता है। इसी के चलते महिलाओं, पर प्रभुत्व पुरुषों का रहता है व उनके साथ भेदभाव किया जाता है। जॉनस्टुअर्टमिल के अनुसार, पत्नी दुर्भाग्यवश चाहे कितने भी निष्ठुर व क्रूर पति के साथ विवाह बंधन में बंधी हो, हालांकि वह यह जानती है कि उसका पति उससे नफरत करता है, पति को उसे यातना देने में प्रतिदिन आनंद आता हो, फिर भी पत्नी उससे घृणा न करना असंभव समझती है। वह उससे कुछ भी दावा कर सकता है तथा मानव को दी जाने वाली निकष्टतम यातनाएँ उसे दे सकता है। जो कि उसकी अभिरुचियों के विपरीत पाशविक यातनाओं के रूप में होती हैं। घरेलू हिंसा हर संस्कृति, धर्म, वर्ग तथा प्रजाति में व्याप्त है जिसे मीडिया कभी नहीं दिखाता है।

घरेलू हिंसाः– घरेलू हिंसा से अभिप्राय परिवार के अन्दर होने वाली हिंसा से है जिसमें कोई एक वयस्क सदस्य सम्बन्धी को नियन्त्रित करखने हेतु अपनी शक्ति का दुरूपयोग करता है। यह पति द्वारा पत्नी के साथ दुर्व्यवहार के रूप मं देखा जाता है। घरेलू हिंसा से स्त्रियों का संरक्षण अधिनियम 2005 में स्पष्ट किया गया कि ''घरेलू हिंसा वास्तविक दुर्व्यवहार व शारीरिक, लैंगिक, मौखिक, भावात्मक एवं आर्थिक दुर्व्यवहार की धमकी हैं गैर कानूनी रूप से दहेज की मांग के लिये स्त्रियों व उसके नातेदारों के उत्पीड़न को भी इसके अन्तर्गत सम्मलित किया गया है। 21वीं सदी में कुछ महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय अब खत्म होने चाहिए आज महिलासशक्तिकरण के लिये हर कोई मुहिम जगा रहा है। महिलाओं के लिये मीडिया आज एक सशक्त माध्यम बन गया है। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा में तीव्र वृद्धि प्रतीत हो रही है।

घरेलू हिंसा महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा का एक बहुत बड़ा रूप है। महिलायें आज भी कहीं भी सुरक्षित नही है न घर के बाहर और न घर के अन्दर अनेक महिलायें अपने परिवार के सदस्यों द्वारा की जाने वाली घरेलू हिंस्सा से पीड़ित एवं मानसिक रूप से तनाव से ग्रस्त रहती है। कोई वयस्क पुरूष यदि घरेलू सम्बन्ध में रहने वाली किसी महिला से जैसे, पूर्व पत्नी, विधवा, विवाह के समान रिश्ते में रहने वाली महिला, माता, बहन, लड़की, संयुक्त परिवार की कोई सदस्य बच्चे से सम्बन्धित आर्थिक, शारीरिक, लैंगिक या भौतिक एवं भावानात्मक हिंसा करता है तो वह घरेलू हिंसा कहलाती है। घरेलू सम्बन्धो में महिलाओं के खिलाफ घरेलू घरेलू हिंसा के मामले गम्भीर चिंता का विषय है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यरो की रिपोर्ट 2019 के अनुसार '' महिलाओं के खिलाफ अपराध के तहत 4.05 लाख मामले में से 50 प्रतिशत से अधिक मामले दर्ज किये गयें घरेलू हिंसा के कारण

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

राष्ट्रीय महिला अयोग (एन0सी0डब्लू) ने कोविड 19 महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा का शिकायतों में दोगुना से अधिक की वृद्धि की है। घरेलू हिंसा सभी सामाजिक वर्गों लिंग, नस्ल और आयु समूहों पर कर एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी के लिये एक विरासत बनती जा रही है। महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के अधिकांश मामलों में दहेज प्रताड़ना तथा अकारण मारपीट प्रमुख है।

साहित्यावलोकनः–

1. डॉ० मन्जू भारती (2014) महिलाओं के प्रति हिंसा की समस्याओं और सामाजिक मुद्दों को फिल्मों में जगह दी है महिलाओं के प्रति समाज और पुरुषों के दृष्टिकोण में भी अन्तर आएगा और उनके प्रति घरेलू हिंसा की घटनाओं में भी कमी होगी ।
2. सरिता कुमारी (2015) अध्ययन से स्पष्ठ किया कि महिला उत्पीड़न की स्थिति में जो बदलाव आ रहा है उसमें मीडिया का आकाशीय सहयोग उस पर आग में घी का काम कर रहा है आत्महत्यायें, तलाक अलगाव, हिंसा, यौनहिंसा और छोटी–मोटी घरेलू हिंसाओं तक की बढ़ती घटनाएँ समाज में त्रासदी बन कर ही प्रश्नचिन्ह अंकित करती है।
3. कविता चौधरी (2016) महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा एक सामाजिक मुद्दा है जो कि राजस्थान के भरतपुर जिले में घरेलू हिंसा का महिलाओं और बच्चों के जीवन पाने और जीवन रक्षा के अधिकार पर सीधा असर पड़ता है।
4. शिवानी (2020) प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ठ होता है कि महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को बढ़ाने में अशिक्षा, सुरक्षा में सम्बन्धित अधिकरों, की कमी मादक पदार्थों का दुरुपयोग आदि कारण है जो महिलाओं के साथ हिंसा करने वाले अपराधियों के प्रति कठोर दंड के प्रावधान किये है।

समाज में महिला सशक्तिकरणः– महिलासशक्तीकरण एक लगातार, चलने वाली अनवरत और गतिशील प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य हाशिये के लोगों को मुख्य धारा में लाया जा सके महिलासशक्तिकरण की गतिविधियों के द्वारा नारी समाज के नवजागरण और कल्याण की ठोस शुरुआत की जाती है। महिलाओं का सामाजिक, राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में प्रतिनिधित्व, दक्षता में अभिवृद्धि, एवं सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति को हासिल करके उन्हें सशक्त बनाया जा सकता है। सशक्तीकरण आधुनिक परिवर्तन में सामाजिक न्याय की जड़ों को मजबूत करता है। जिसमें वे नयी क्षमताओं को प्राप्त कर स्वयं को नये तरीके से देखेगी, घरेलू शक्ति सम्बन्धों का बेहतर समायोजन करेगी तथा घर एवं. पर्यावरण में स्वायत्रता की अनुभूति करेगी, लैंगिक असमानता, दहेज, स्वास्थ्य की दिशा में प्रयास करके ही महिलासशक्तिकरण किया जा सकता है। भारत सरकार ने वर्ष 2001 को महिलासशक्तीकरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया तथा 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। महिला हमारी प्रथम गुरु प्रथम ईश्वर और प्रथम पालन होती है। वह जननी दोस्त यार और हमारे जीवन की खेवनहार होती है।''स्त्री पुरुष के पीछे हो तो कमजोर नही सम्मान करती है। स्त्री पुरुष के आगे हो तो अहंकारी नही ढाल बनती है वह स्वस्थ गृहस्थ जीवन का आधार होती है'' कुछ दिन पहले 24 दिसम्बर को प्रयागराज जिले में आयोजित महिला सशक्ति सम्मेलन में कई जिलों से आई महिलाओं ने सहभागिता की

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

उसी सम्मेलन में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा ''देश में महिलासशक्तिकरण के लिये काम किया जिससे महिलायें अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं''।

घरेलू हिंसा के विभिन्न रूपः– भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अनुसार घरेलू हिंसा के पीड़ित के रूप में महिलाओं के किसी भी रूप तथा 18 से कम आयु के बालक एवं बालिका को संरक्षित किया गया है।

महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसाः– किसी महिला को शारीरिक पीड़ा देना जैसे–मारपीट करना, ठोकर मारना, बलात्कार करना, दुर्व्यवहार करना, अपमानित करना, आत्महत्या की धमकी देना, चरित्र पर दोषारोपण करना युनाइटेड नेशंस पापुलेशन फंड रिपोर्ट के अनुसार लगभग दो तिहाई विवाहित भारतीय महिलायें घरेलू हिंसा की शिकार है और भारत में 15–49 आयु वर्ग की 70 प्रतिशत विवाहित महिलायें पिटाई बलात्कार या जबरन यौनशोषण का शिकार है। देश में महिलााओं के खिलाफ हिंसा की शिकायतों में 30 फीसदी का इजाफा हुआ राष्ट्रीय महिला आयोग (एन0सी0डब्लू0) को 2021 में 31000 शिकायतें प्राप्त हुई ये संख्या 2014 से सबसे अधिक है इनमें सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश के है। एन0सी0डब्लू0 के आंकड़ों के अनुसार 2020 के 23,722 शिकायतों की तुलना में 2021 में 30 फीसदी तक शिकायतें अधिक मिली है। 30,864 में से सबसे ज्यादा महिलाओं के सम्मान अधिकार से जुड़ी है।

क्र0सं0	महिलाओं से सम्बन्धित हिंसा	शिकायतो की संख्या
1	महिलाओं के सम्मान व अधिकार से जुड़ी	11,013
2	घरेलू हिंसा	6,633
3	दहेज उत्पीड़न	4,589
4	महिलाओं से दुर्व्यवहार व यौन शोषण की	1,819
5	दुष्कर्म की कोशिश सम्बन्धी	1,675
6	पुलिस के रवैये सम्बन्धी	1,537
7	मानसिक प्रताड़ना	8,58

स्रोत राष्ट्रीय महिला अयोग 2021

भारत के 22 राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में किये गये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ सर्वेक्षण (एन0एफ0एच0एस0) के अनुसार 30 फीसदी से अधिक महिलायें अपने पति द्वारा शारीरिक एवं यौन हिंसा की शिकार हुयी है। सामाजिक कार्यकर्ता व गैरसरकारी संगठन (एन0जी0ओ0) ने कोविड–19

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

महामारी के समय ऐसी घटनाओं में वृद्धि की शंका प्रकट की है। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामलों में सबसे ज्यादा कर्नाटक, असम, मिजोरम, तेलंगाना और बिहार में है। मुतरेजा के अनुसार ''एन0एफ0एच0एस0 के सर्वेक्षण के अअनुसार 31 प्रतिशत विवाहित महिलाओं को शारीरिक यौन या भावनात्मक हिंसा का सामना करना पड़ता है। कोविड–19 से पहले से ही घरेलू हिंसा की घटनायें प्रचलित है। भारत में घरेलू हिंसा के कुल 29,5,601 मामले दर्ज है।

एन0सी0डब्लू0 के आंकड़ों के अनुसारः– सम्मान के साथ जीने के अधिकार और घरेलू हिंसा से जुड़ी सबसे ज्यादा शिकायतें उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई।

क्र0सं0	राज्य	महिलाओं की घरेलू हिंसा से जुड़ी शिकायतों की सं0	क्र0सं0	राज्य	महिलाओं की घरेलू हिंसा से जुड़ी शिकायतों की सं0
1	उत्तर प्रदेश	65,481	6	केरल	20826
2	राजस्थान	38,381	7	मध्यप्रदेश	6384
3	आन्ध्रप्रदेश	37,876	8	असम	12739
4	दिल्ली	3,564	9	कर्नाटक	11407
5	महाराष्ट्र	16,168	10	पश्चिम बंगाल	9858

स्रोत राष्ट्रीय महिला आयोग 2022

2 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा कानून के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) को निर्देश दिया है कि घरेलू हिंसा कानून 2005 (प्रोटेक्शन ऑफ वीमन फ्रॉम डोमेस्टिक बायलेंज एक्ट 2005) के तहत दर्ज की मामलों की जानकारी केन्द्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी ने पीठ को बताया कि महिला बालविकास मंत्रालय द्वारा बनायी गयी मिशनशक्ति परियोजना एवं कानून एवं न्याय मंत्रालय के तहत आने वाली परियोजनाए गठन के स्तर पर है। कोर्ट के अनुसार– पूरे देश में घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं को प्रभावी कानूनी सहायता उपलब्ध कराने और उनके लिये शेल्टर होम का पूरे देश में बुनियादी ढांचा बनाने की मांग को लेकर बी0द0 वीमन ऑफ इण्डिया की दयार याचिका पर सुनवाई की गयी है।

पुरूषों के विरूद्ध घरेलू हिंसाः– महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा एक गम्भीर और बड़ी समस्या है लेकिन भारत में पुरूषों के खिलाफ घरेलू हिंसा भी धीरे–धीरे बढ़ रही है। चण्डीगढ़ और शिमला में सैकड़ों पुरूष इकठ्ठा हुए जिन्होने अपनी पत्नियों और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा उनके खिलाफ की जाने वाली घरेलू हिंसा से बचाव और सुरक्षा की गुहार गलाई थी।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

बच्चों के विरूद्ध घरेलू हिंसाः– समाज में बच्चो और किशोरों को भी घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। बच्चो को जोर जबरदस्ती बर्तन साफ करना, सही समय पर भोजन न देना, उनके साथ आये दिन मारपीट करना, सौतेला व्यवहार करना तथा उन्हे धमकाना आदि।

बुजुर्गों के विरूद्ध घरेलू हिंसाः– घरेलू हिंसा के इस स्वरूप का तात्पर्य उस हिंसा से है जो घर के बूढ़े लोगो के साथ अपने बच्चो और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा की जाती है। भारत में यह हिंसाा अधिक संवेदनशील होती जा रही है। इसमें बुजुर्गों के साथ मारपीट करना, उनसे घरेलू काम कराना, भोजन आदि न देना और परिवार के सदस्यों से अलग रखना आदि।

घरेलू हिंसा में मानव अधिकारों की भूमिकाः–भारतीय समाज में घरेलू हिंसा दुखद रूप से एक वास्तविकता है तथा भारतीय समाज पितृसत्तात्मक व्यवस्था में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, लैंगिक भूमिकाओं की रढ़िवादिता और समाज में वास्तविक शक्ति उत्पन्न होती है। महिला अधिकारों के प्रति लड़ी जाने वाली लड़ाई का ऐतिहासिक अवलोकन किया जाय तो न्याय, समानता एवं अधिकारों के लिये ''प्रथम महिला अधिकार'' सम्मेलन वर्ष 1848 अमेरिका में सम्पन्न हुआ था। मानव अधिकार बहुत आवश्यक है ये अधिकार मानव की गरिमा को बढ़ाकर समाज में सम्पन्नता एवं सौहार्द बढ़ाते है। महिला अधिकार जीवन में आने वाली अनेक बाधाओं को दूर करके शान्ति एवं भाईचारे को बढ़ाता है।

हैराल्ड लॉस्की के शब्दों मेंः–''अधिकार मानव जीवन की ऐसी परिस्थितियां है जिनके बिना समान्यता कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नही कर सकता है'' प्रस्तावना में कहा गया है कि नागरिकों को न्यायिक, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक सुरक्षा विचार–अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और पूजा की स्वतन्त्रता प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता व्यक्ति के गौरव तथा देश की एकता एवं अखण्डता को पुष्ट करता है। महिलासशक्तिकरण ने घरेलू हिंसा हेतु संवैधानिक प्रावधान किये गये है। जो निम्न है–दहेज प्रतिबन्ध अधिनियम 1961, प्रसूति सहायता अधिनियम 1961, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रैगनैसी एक्ट 1971, समान वेतन अधिनियम 1976, परिवार अधिकरण अधिनियम 1984, सतीप्रथा निवारण अधिनियम 1987, 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993, घरेलू हिंसा अधिनियम 2006, मानव अधिकार संरक्षरण अधिनियम 1993 आदि, सभी अधिनियम महिलाओं की स्थिति में सुधार तथा सशक्तिकरण की दृष्टि से महिलाओं को सबल बनाने के लिये समय–समय पर पारित घरेलू दमन हिंसा, कानून, महिलाओं के हर प्रकार के शोषण उत्पीड़न दमन हिंसा व अत्याचार से रक्षा के लिये बनाया गया प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय 20 दिसम्बर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाता है। महिलाओं के अधिकार को सुरक्षित रखने हेतु वर्ष 1992 में भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। 1993 को महासभा में महिलाओं के प्रति हिंसा दूर करने सम्बन्धी घोषणा की गई और उनके अधिकारों को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान किया गया। 10 दिसम्बर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की गई कि प्रत्येक युग में मानवाधिकार के महत्व को स्वीकार किया गया। डॉ0 अम्बेडकर ने समाज के निम्न वर्ग के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, अधिकारों को मानव अधिकारों से जोड़ा।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

घरेलू हिंसा क्यो होती हैः– ज्यादातर लोग घरेलू हिंसा के पीछे तनाव, नशा या किसी गम्भीर बीमारी का होना मानते है। जो व्यक्ति अपने घर परिवार में हिंसा करते है वे लोग अपने यार दोस्तों के साथ कार्यस्थल पर अपने संगी साथियों के साथ वैसा व्यवहार नही करते है। घरेलू हिंसा हमेशा होसहवास में की जाती है करने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर अपना हुक्म चलाता है और परिवार के मुखिया को अवगत होता है कि पत्नी कभी दूसरे के सामने अपना मुंह नही खोलेगी।

घरेलू हिंसा के कारणः– भारतीय समाज में घरेलू हिंसा के अनेक कारण है। दहेज से असन्तोष के कारण महिलाओं का शोषण, जीवनसाथी के साथ झगड़ा, लैंगिक सम्बन्ध स्थापित न होने देना, बच्चो की उपेक्षा करना, जीवन साथी को बताये बिना घर से बाहर रहना, सही समय पर भोजन न बनाना, अपने सास–ससुर की ठीक प्रकार से देखरेख न करना। कुछ मामलों में महिला का बांझपन भी घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण माना गया है।

घरेलू हिंसा से सम्बन्धित कानूनी प्रावधानः–

1. **घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005**:– इस अधिनियम को सरकार ने महिलाओं एवं बच्चो के संरक्षण के लिये संसद में पारित किया था घरेलू हिंसा जिसमें जाने अनजाने में किये गये सभी कार्य जिनसे महिलाओं को शारीरिक, मानसिक स्वास्थ को चोट पहुंचती है। सभी महिलाओं को घर के निजी दायरे में हिंसा से मुक्त जीने के अधिकार को मान्यता देता है।
2. **वन स्टॉप सेन्टर स्कीम 1 अप्रैल 2015**:– इस योजना के अन्तर्गत घरेलू हिंसा या दुष्कर्म के मामले में पीड़ित महिलाओं को भटकना नही पड़ता है। इसका उद्देश्य घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की सहायता के लिये जैसे–मेडिकल टेस्ट, रिपोर्ट दर्ज कराने, वकीलों से कानूनी सलाह लेने में आने वाली परेशानियों को दूर करने में सक्षम बनाता है।
3. **महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013**:– इसके अन्तर्गत कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित एवं संरक्षित माहौल उपलब्ध कराना जिसमें बलात्कार जैसे अपराधों में अधिक कठोर दण्ड का प्रावधान है। यह महिलाओं को काम काजी जगहों पर सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराता है।
4. **दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961**:– इस अधिनियम के अन्तर्गत दहेज लेने वाले को अवैध घोषित करता है दहेज लेने या देने के लिये प्रेरित करने वाले को पांच साल का कारावास व पन्द्रह हजार रूपये के जुर्माने का प्रावधान निश्चित है।
5. **स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986**:– इस अधिनियम के अन्तर्गत महिलाओं के किसी भी अंग का चित्रण, आकृति या शरीर के किसी भी हिस्से को ऐसे ढंग से दर्शाना जो महिला के लिये अपमानजनक हो नैतिकता या सिद्धान्तो को चोट पहुंचती हो इसमें प्रावधानों की अवमानना करने वालों को 5 वर्ष की सजा और 1 लाख रूपये का जुर्माना लगाया जाता है।

घरेलू हिंसा को समाप्त करने के सुझावः–

1. मीडिया को गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर मानव अधिकारों तथा घरेलू हिंसा को दूर करने सम्बन्धी उनकी सार्थकता के बारे में जन जागरूकता पैदा करनी चाहिए।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

2. घरेलू हिंसा को खत्म करने के लिये महिलाओं का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है।
3. घरेलू हिंसा को समाप्त करने के लिये पुरूषों के साथ–साथ स्वयं नारी को नारी के प्रति सोच को बदलना चाहिए।
4. घरेलू हिंसा निवारक सम्बन्धी तैयार किये गये कार्यक्रमों को राज्य तथा स्वैच्छिक क्षेत्रों, में आवश्य ही शुरू करना चाहिए।
5. समाज में व्याप्त घरेलू हिंसा को जड़ से समाप्त करने के लिये सरकार द्वारा बनाये गये कानूनों का शक्ति से पालन किया जाना चाहिए।

निष्कर्षः– इस तरह आज आवश्यकता इस बात की है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण व अधिनियम सख्ती से लागू किया जाये तथा मीडिया के माध्यम से सामाजिक विचारों का आदान प्रदान हो और समाज में हो रही घरेलू हिंसा को मीडिया के माध्यम से दिखाया जाये। जिससे सरकार कठोर कानून बनाने का निर्णय लेगी। घरेलू हिंसा रोकने हेतु पर्याप्त नही मानते है। इस अधिनियम के पारित होने से घरेलू हिंसा करने वालों में थोड़ा बहुत डर पैदा जरूर हेा गया है। परन्तु घरेलू हिंसा की रोक थाम हेतु स्त्रियों को स्वयं संगठित होकर व गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से अपनी आवाज उठाकर विरोध करना होगा और महिलासशक्तिकरण के लिये चलायी जा रही योजनाओं तथा कार्यक्रमों का मूल्यांकन तथा अनुश्रवण नियमित अन्तराल पर करना जरूरी है। बिना स्त्रियों के विरोध से वह वातावरण विकसित होना सम्भव नही है। जिसमें घरेलू हिंसा का प्रभाव हो। सोचनीय बात है कि प्रभावशाली आर्थिक तकनीकी और सामाजिक प्रगति के बावजूद देश भर में कई हजार महिलाओं को अपने खुद के घरों के भीतर ही हिंसा का सामना करना पड़ता है। ऐसी घरेलू हिंसाओं पर तत्काल विचार विमर्ष करने की आवश्यकता है। ऐसी घरेलू हिंसाओ पर तत्काल विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। समाज में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के कारण उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है।

सन्दर्भ सूचीः–

1. पाण्डेय. डा0 ममता. डा0 वीरेन्द्र सिंह यादव. (2010) भारत में घरेलू हिंसा एवं पारिवारिक तनाव. डा0 वीरेन्द्र सिंह यादव. 21वीं सदी का महिला सशक्तिकरण. ओमोगा पब्लिकेशन. दिल्ली पृ0सं0 219
2. द्विवेदी. डा0 मधुरता (2010) महिला हिंसा अतीत एवं वर्तमान. 21वीं सदी का महिला सशक्तिकरण. ओमेगा पब्लिकेषन. दिल्ली पृ0सं0 166
3. परिहार. जितेन्द्र सिंह. रणविजय (2010) 21वीं सदी में नारी की प्रासंगिगता ओमेगा पब्लिकेशन. दिल्ली पृ0सं0 220
4. नईम. डा0 मुहम्मद. (2012) महिला सशक्तिकरण चुनौतियां एवं समाधान. यूनीवर्सिटी पब्लिकेशन. अंसारी रोड दरियागंज. नई दिल्ली. पृ0सं0 27

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

5. महाजन. डा0 धर्मवीर और डा0 कमलेश महाजन. (2013) भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्यायें. विवेक प्रकाशन. जवाहर नगर दिल्ली. पृ0सं0 91
6. कुमारी सरिता. (2015) ग्रामीण महिला उत्पीड़न के कारण. स्वरूप एवं निदान. श्रम्ज्प्ण टवस.2ए ऐअम.5 पृ0 स0ं 18
7. अग्रवाल संगीता. (2010) मीडिया में महिलाओं की भूमिका. वाणी प्रकाशन दरियागंज. नई दिल्ली पृ0सं0 66
8. व्यास आशुतोष. (2017) महिलासशिक्तकरण चुनौतियां और सम्भावनायें बुक इनक्लव प्रकाशन, जयपुर राजस्थान पृ0सं0 27
9. अंसारी. एम0ए (2003) महिला एवं मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन. जयपुर. पृ0सं0 44
10. तारकुंड. वी.एम. (1995) मानवाधिकारों का दर्शन. वाणी प्रकाशन. नई दिल्ली. पृ0सं0 38
11. सिंह. राजबाला. (2006) मानवाधिकार एवं महिलाएं. आविष्कार. पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स. जयपुर. पृ0सं0 2006